मध्य प्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 10–09 / 2014 / 18–2 भोपाल, दिनांक 29 / 03 / 2014

प्रति,

1. समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम, ... मध्यप्रदेश।
2. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर परिषद, ... मध्यप्रदेश ।

विषय :– मैरिज गार्डन्स् के बारे में उपविधियां बनाने के संबंध में ।

–/–

उपर्युक्त विषयांतर्गत म.प्र.उच्च न्यायालय, खंडपीठ इंदौर द्वारा डब्ल्यू.पी. 44 / 10 – श्री धीरेन्द्र जैन एवं अन्य विरूद्ध राज्य शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.11.2013 की कंडिका–10 एवं उसकी उप कंडिका–(*b*) एवं (*d*) निम्नानुसार है :–

"(10) After perusing the proposed byelaws for Municipal Corporation Ujjain for Municipalities in general. it is necessary to issue appropriate direction to the Municipal Corporation Ujjain and a direction to the state government to direct the Municipal Corporations and Municipalities to undertake the exercise of adopting and/or framing byelaws.

(b) until the municipal corporations and State of M.P.undertake and complete the exercise of framing byelaws. the proposed byelaws reproduced above shall be implemented by all municipal corporation in letter and spirit w.e.f.1/12/2013.

(d) Untill the exercise of framing byelaws for municipalities is completed the proposed byelaws shall apply for the transitional period in all municipalities in state of M.P. and the state government shall issue necessary orders within two weeks."

2– मा0 उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के उक्त आदेश की प्रति संलग्न कर निर्देश दिये जाते हैं कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए, जब तक मैरिज गार्डन्स् के संबंध में उपविधिया तैयार नहीं हो जाती हैं, तब तक नगर पालिक निगम, उज्जैन द्वारा तैयार की गई उपविधियों के अनुसार कार्यवाही की जाए ।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार

(के.के.कातिया) 29/3/14
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 10–09 / 2014 / 18–2 भोपाल, दिनांक 29 / 03 / 2014

प्रतिलिपि :–

1– रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय हरित अभिकरण, भोपाल,
2– आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश भोपाल,
3– श्री सचिन के. वर्मा, शा0 अधिवक्ता, रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय हरित अभिकरण, भोपाल,
4– श्री अंशुम सिंह, वेब कंटेट मैनेजर, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल,

की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

29/3/14
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

कार्यालय कलेक्टर
जिला उज्जैन (म.प्र.)
शाखा
08 JAN 2014
अधीक्षक

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, BENCH AT INDORE
SINGLE BENCH : HON. MR. JUSTICE N.K.MODY

W.P. No. 44/2011

Dheerendra Jain and others

Vs

State Of M.P. and others

Counsel for petitioner : Mr. Amit Agrawal, Adv.
Counsel for respondent Nos.1 to 3 : Mr.C.R.Karnik,Dy.G.A.
Counsel for respondent No.4 : Mr. Manish Vijayvargiya, Adv.

ORDER
(Passed on 14 /11/2013)

The Petitioners who are 10 in number, are respectively the owners, managers and/or controllers of marriage gardens/ marriage halls situated within the municipal limits of Ujjain. The relief claimed in the present petition is for a writ of mandamus directing the municipal corporation Ujjain to frame appropriate byelaws as envisaged by sec 249(1)(f) read with sec. 366 of the Act.

(2) The petitioners have claimed the relief as in absence of byelaws the District Magistrate Ujjain has issued orders, Annexure P/3 dated 28.10.2010, laying down condition subject to which the activity of running halls and gardens shall be permitted. The petitioners are aggrieved by condition no. 5 and 8 requiring them to get themselves registered with the corporation, with local police & town planners .Similarly the petitioner have challenged the minutes of the meeting Annexure P/5 dated 15.12.10, incorporating condition no. 8. The petitioners have also stated that at present except for the byelaws relating to dangerous & hazardous substances, no other byelaws have been framed so as to regulate the operation of the marriage gardens/halls . The petitioner have further stated that their fundamental right to carry on the trade and business guaranteed under Article 19(1)(g) enabling them to earn their livelihood under Article 21 can neither be regulated much less restricted ,save in accordance with Article

TS1

(e) Every license and written permission granted under this Act or under any rule or byelaw made there under, shall be signed by the Commissioner and shall specify-
(a) the date of the grant thereof;
(b) the purpose and the period, if any, for which it is granted;
(c) the restrictions and conditions, if any, subject to which it is granted;
(d) the name of the person to whom it is granted;
(e) the tax or fee, if any, paid for the license or written permission;
(f) the date by which an application for the renewal of the same may be made

Sec 427. **Byelaws.-**
The Corporation may, and if so required by the Government, shall make byelaws consistent with the provisions of this Act and the rules made there under for carrying out the provisions and intentions of this Act, and in particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, it may, make byelaws to regulate all or any of the following matters namely:
(1). (a). the extent of general supervision and control to be exercised by the commissioner over servants of the state placed at the disposal of corporation under section 68.
(b). the condition on which property may be acquired by the corporation or on which property vested in the corporation may be transferred by sale ,mortgage, lease, exchange or otherwise;
(c). The authority on which money may be paid from the municipal fund and the management and regulation of provident fund.
(d). the preparation of plans and estimates for partly or wholly to be constructed at the expense of the corporation ,and for the preparation, and periodical revision of maps and registers made under sec 83, and for the authorities by which and the condition subject to which palns, estimates ,maps and registers are to be prepared and sanctioned.
(e). The preparation of the estimates of income and expenditure of the corporation and as to the person by whom and the conditions subject to which such estimates may be sanctioned.
(f). the manner in which the accounts are to be kept by the corporation ,the condition on which such accounts are to be open to inspection by inhabitants paying any Tax under this ct, the manner in which such accounts are to be audited and published and the power of the auditors in respect of disallowance and surcharge.
(g). the condition on which the corporation may receive animals or articles into a bonded warehouse ,and the agreement to be signed by traders and other wishing to deposit animals or articles thereof.
(h). the manner in which public notices may be given.
(6).Scavenging and disposal of refuse- The scavenging of streets and the removal of sewage and rubbish offensive matter from all buildings and lands within the city.
(27). Licensing of theatres,etc- (a)the safety, sanitation and internal arrangements of theatres or other places of public entertainment or resort and the control and inspection thereof, in order to ensure safety, health and convenience of persons

/attending

employed in, or visiting ,attending or resorting to the same;(b) the licensing of such entertainments.
(36)Charges of service by municipal authority- the charges for services rendered by any municipal authority.

(4) A perusal of the aforesaid statutory provision makes it explicitly clear that for licensing and regulation of any activity which in the opinion of the commissioner is likely to cause nuisance to others, framing of byelaws for regulating the activity is necessary . From the reply of the corporation it is clear that the corporation has not framed any byelaws for regulating the activity of marriage gardens /halls and inspite of the fact that, this activity is required to be regulated instead of framing byelaws u/s 249(1) (f) read with 366 read with 427, the corporation and the local administration has been issuing directions either u/s 144 or laying down condition in meeting which is not enforceable in law. Even otherwise an order u/s 144 CrPC would not serve the purpose and object sought to be achieved to remedy public inconvenience and nuisance.

Looking to the generality of the problem; likely inconvenience and nuisance to public at large ,it is necessary for the corporation to frame byelaws. It is really painful to sate that inspite of such long lapse of time since its establishment the corporation has failed to discharge its statutory duty of regulating the fundamental and legal rights of marriage garden/hall owners.

(5) The petitioners have claimed writ of Mandamus against Corporation commanding it to frame byelaws.

(6) It is settled in law that one of the condition of exercising writ jurisdiction for issuance of Mandamus is to enforce a legal right and corresponding legal duty. In this regard the Apex court in the matter of **Director Of Settelment ,A.P.** reported in (2002) 4 SCC 638 has observed in para 17 as under:

17. Coming to the third question, which is more important from the point of consideration of the High Court's power for issuance of mandamus, it appears that the Constitution empowers the High Court to issue writs, directions or orders in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari for the enforcement of any of the rights conferred by

152

Part III and for any other purpose under Article 226 of the Constitution of India. It is, therefore essentially, a power upon the High Court for issuance of high prerogative writs for enforcement of fundamental rights as well as non-fundamental or ordinary legal rights, which may come within the expression "for any other purpose". The powers of the High Courts under Article 226 though are discretionary and no limits can be placed upon their discretion, they must be exercised along the recognised lines and subject to certain self-imposed limitations. The expression "for any other purpose" in Article 226, makes the jurisdiction of the High Courts more extensive but yet the Courts must exercise the same with certain restraints and within some parameters. **One of the conditions for exercising power under Article 226 for issuance of a mandamus is that the Court must come to the conclusion that the aggrieved person has a legal right, which entitles him to any of the rights and that such right has been infringed. In other words, existence of a legal right of a citizen and performance of any corresponding legal duty by the State or any public authority, could be enforced by issuance of a writ of mandamus.** "Mandamus" means a command. It differs from the writs of prohibition or certiorari in its demand for some activity on the part of the body or person to whom it is addressed. Mandamus is a command issued to direct any person, corporation, inferior courts or Government, requiring him or them to do some particular thing therein specified which appertains to his or their office and is in the nature of a public duty. A mandamus is available against any public authority including administrative and local bodies, and it would lie to any person who is under a duty imposed by a statute or by the common law to do a particular act. In order to obtain a writ or order in the nature of mandamus, the applicant has to satisfy that he has a legal right to the performance of a legal duty by the party against whom the mandamus is sought and such right must be subsisting on the date of the petition (Kalyan Singh v. State of U.P. [AIR 1962 SC 1183]). **The duty that may be enjoined by mandamus may be one imposed by the Constitution, a statute, common law or by rules or orders having the force of**

law

(7) A perusal of the observation of the Apex court apply with greater force in this case as the petitioners undisputedly have a fundamental right to carry on their trade of running marriage garden/halls and the said right can only be subjected to restrictions in accordance with Article 19(6) by framing appropriate byelaws as per sec 249(1)(f),366 read with 427 of the Act.

(8) Looking to the far reaching consequences and adverse effect which may visit the petitioners ,the public at large and the corporation ,the parties were required to bring on record proposed byelaws or at least general guidelines to enable the corporation to complete the exercise . As directed, the petitioners in consultation with the commissioner of the corporation have proposed byelaws Annexure P/10 It was stated by the commissioner of corporation that the broad structure and prescription made in the said byelaws would fulfill the need of regulating the activity as such. The respondent corporation has also produced Bye-Laws.

The petitioners were also directed to produce a copy of proposed byelaws which may be suitable for all Municipalities in the State of M.P. The petitioners have produced draft of same as **Annexure P/11**. The bye laws proposed by Municipal Corporation, Ujjain are reproduced herein below to avoid any confusion, as agreed and modified by parties:-

PROPOSED BY LAWS FOR MUNICIPAL CORPORATION, UJJAIN

मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 (अधिनियम संख्या 23 सन् 1956) की धारा 249 (1) (एफ) सहपठित धारा 366 एवं धारा 427 (6) (27) (36) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम उज्जैन एतद द्वारा उपविधियाँ बनाता है-

नगर निगम उज्जैन (विवाह स्थल का पंजीयन) उपविधियाँ 2013

(1) शीर्षक सीमा एवं प्रभाव –

a. ये उपविधियाँ नगर निगम उज्जैन (विवाह स्थल का पंजीयन) उपविधियाँ 2013 कहलायेंगी।

b. ये उपविधियाँ नगर निगम की साधारण सभा की बैठक दिनाक .... की स्वीकृति दिनांक से प्रभावशील होगी।

c. ये उपविधियाँ नगर निगम उज्जैन एवं सिंहस्थ मेला क्षेत्र की समस्त सीमा में प्रभावशील होगी ।

(2) **शाब्दिक परिभाषायें –** जब तक अर्थ से असंगतता अथवा भाव में विपरीतता न हो इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ निम्नांकित शब्दों की परिभाषा निम्न प्रकार

153

होगी।

a. "अधिनियम" से तात्पर्य मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 (अधिनियम संख्या 23 सन् 1956 से है)

b. "समिति" से तात्पर्य नगर निगम उज्जैन द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 45 के अंतर्गत गठित समिति से है ।

c. "स्थानीय निकाय" से तात्पर्य नगर निगम उज्जैन से है ।

d. "उपयोग व उपभोग अनुमति" से तात्पर्य विवाह स्थल पर उपविधियो के अंतर्गत उपविधि 4 में वर्णित उपयोगों हेतु दी जाने वाली अनुमति से है।

e. "अनुमति प्राप्तकर्ता" से अभिप्रेत इन उपविधियों के अंतर्गत विवाह स्थल पंजीयन की अनुमति प्राप्त करने वाले व्यक्ति से है इसमे इनका अभिकर्ता प्रतिनिधि एवं अन्य कर्तव्यस्थ सेवक सम्मिलित होगा ।

f. "महापौर" से तात्पर्य नगर निगम उज्जैन के महापौर से है ।

g. "आयुक्त" से तात्पर्य नगर निगम उज्जैन के आयुक्त से है ।

h. "प्राधिकृत प्राधिकारी" से तात्पर्य स्थानीय निकाय के शीर्षस्थ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये प्राधिकृत अधिकारी से है जो आयुक्त नगर पालिक निगम उज्जैन द्वारा इस उपविधि के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी घोषित किया गया है। अनुज्ञप्ति प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपविधियों के अंतर्गत विवाह स्थल की अनुमति एवं संचालन की कियान्विति सुनिश्चित की जावेगी।

i. "विवाह स्थल" से तात्पर्य नगर निगम उज्जैन की सीमा में स्थित ऐसे समस्त होटल / भूखण्डों / फार्मों / सामुदायिक केन्द्रों / भवनों / क्लबों / बैंक्वट हॉल / धर्मशालाओं इत्यादि से है जो सगाई, शादी, जन्मदिवस एवं अन्य प्रकार के सामाजिक समारोहो / उत्सव / प्रदर्शनी / कन्वेशन / गरबा उत्सव / नववर्ष आयोजन इत्यादि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाते है ।

j. "प्रपत्र" से तात्पर्य इन उपविधी के साथ संलग्न प्रपत्र से है जो शब्द यहां परिभाषित नही किये है उनके संबंध मे मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 में दी गई परिभाषाऐं लागू होगी।

3. <u>निषेद्ध</u> – स्थानीय निकाय की सीमा में कोई भी व्यक्ति, संस्थान, कंपनी स्थानीय निकाय की अनुमति प्राप्त किये बिना ऐसे स्थान का विवाह स्थल अथवा अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग नही कर सकेगा। वर्तमान में स्थापित विवाह स्थलों के संबंध में प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च से पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अपना कर नगर निगम उज्जैन से अनुमति प्राप्त करनी होगी अन्यथा अवैध मानकर कार्यवाही की जावेगी ।

4. <u>अनुमति पत्र की प्रणाली</u> – कोई भी व्यक्ति संस्था कंपनी जो स्थानीय निकाय सीमा मे स्थित भूखंड / भवन / फार्म हाउस का उपयोग विवाह स्थल / अन्य प्रयोजनार्थ करना चाहता है अथवा इन उपविधियों से प्रभावी होने से पहले ही स्थल का उपयोग उपरोक्त प्रयोजनार्थ कर रहा है तो उसे –

अ. निर्धारित प्रपत्र (क) मे आवेदन करना होगा।

:पद्ध विवाह स्थल का कम्प्यूटराईज्ड ले–आउट प्लान संलग्न करना होगा तथा उसके संबंध में निम्न विवरण देना अनिवार्य होगा।

a. महिला व पुरुष के लिये भवन विनियमो मे निर्धारित मापदण्डो के अनुसार पर्याप्त शौचालय व मूत्रालय।

b. भवन विनियमो में निर्धारित अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था।

c. आवेदित स्थल की कुल व्यक्तियों की समाहित करने की क्षमता।

d. आने व जाने के दो रास्ते (सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य) अगर वर्तमान में आवंटित स्थल पर आने जाने का एक ही रास्ता उपलब्ध हो तो आवेदनकर्ता का आवेदन करने से पूर्व दूसरा रास्ते की व्यवस्था की जाकर ही आवेदन किया जा सकेगा।

e. सडक की चौडाई न्यूनतम 40 फीट होना अनिवार्य है। सार्वजनिक सामुदायिक केन्द्रो के लिए सडक की न्यूनतम चौडाई 20 फीट होगी।

f. कचरा संग्रहण एवं गंदे पानी की निकास की व्यवस्था।

g. बिजली पानी तथा इमरजेंसी लाईट की पर्याप्त व्यवस्था।

h. वाटर हारवेस्टिंग की व्यवस्था।

i हलवाई/कैटरिंग/अग्नि स्थान जहां भोजन तैयार करने की व्यवस्था की जानी है आवेदित स्थल पर विकसित वृक्षारोपण, पार्क, लैण्डस्केपिंग इत्यादि का विवरण प्रस्तावित आवेदित स्थल पर लिये गये विद्युत कनेक्शन भार का विवरण मय अतिरिक्त जनरेटर रूम व्यवस्था, आतिशबाजी के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले स्थान का इंगितिकरण इत्यादि ।

j. पार्किंग व्यवस्था कुल क्षेत्रफल के कम से कम 25% में होगी ।

k. आवेदनपत्र के साथ विवाह स्थल के आवेदित भूखंड का कोई संपत्ति कर, जलकर बकाया नही होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा ।

स. संबंधित भूखंड के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज की प्रति ।

द. यदि उपयोगकर्ता किरायेदार है तो उसे स्थल के मालिक से लिखित मे हुए इकरारनामा एव एम.ओ.यु/अन्य कानूनी दस्तावेज जिसके तहत निर्धारित स्थल का उपयोग किया जा रहा है कि नोटराईज्ड प्रतिलिपि सलग्न करनी होगी एवं विवाह स्थल की अधिसूचना (भूखंड/भवन मालिक की सहमति सहित) के अंतर्गत निर्धारित शर्तो को उसके द्वारा अक्षरतः पालन किया जावेगा इस हेतु निर्धारित राशि के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

इ. आवेदक को आवेदनपत्र के साथ निम्नांकित आशयों का निर्धारित राशि के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा कि –

a. ध्वनि विस्तार यत्रों का प्रयोग के संबंध में उपविधि संख्या 9 (c) की पालन की जावेगी।

b. विवाह स्थल पर यातायात को बाधित होने से रोकने के लिये निर्धारित संख्या के अनुसार गार्ड लगाये जाने के संबध मे उपविधि संख्या 11 की पालना की जावेगी।

c. उपविधियो द्वारा सफाई व्यवस्था कराने के सबध में उपविधि संख्या 12 का पालन किया जावेगा।

d. विवाह स्थल पर आयोजन से उत्पन्न कचरा एवं अपशिष्ट पदार्थ अनुपत्रधारी अथवा जागीरदारी प्रथा अंतर्गत व्यक्ति के माध्यम से सफाई व्यवस्था स्वय की जावेगी।

समस्त वांछित औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात निकाय द्वारा प्रपत्र (ख) मे अस्थाई अनुज्ञा पत्र जारी करेगा तथा स्थानीय निकाय के अधिकृत प्राधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा आवेदित स्थल की जाच की जाकर अनुमति दिये जाने अथवा नही दिये जाने का निर्णय लिया जाकर आवेदनकर्ता को सूचित किया जा सकेगा। नगर निगम के आयुक्त द्वारा निर्णय लेकर लाईसेंस देने की ऑनलाईन प्रकिया लागू कर सकेंगे। ऐसी दशा में आवेदक प्रार्थनापत्र के साथ सभी औपचारिक दस्तावेज एवं फीस अदायगी की रसीद प्रस्तुत करेगा। फीस अदा होने के 30 दिवस मे आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी उक्त विवाह स्थल की जॉच उपविधियों के प्रावधानों के अनुरूप स्वयं करेगा अथवा अन्य संबंधित अधिकारियों से करवायेगा तथा विवाह स्थल को स्वीकृति/अस्वीकृति देगा।

5. <u>प्रकिया</u> – अधिकृत प्राधिकारी द्वारा पहली बार नया विवाह स्थल पंजीयन की अनुमति देने से पूर्व सार्वजनिक विज्ञप्ति स्थानीय दैनिक समाचार पत्र (अधिक प्रसार वाले) मे आवेदनकर्ता के व्यय पर प्रकाशित करवायी जावेगी। 15 दिवस में आपत्ति प्राप्त न होने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित शर्तो को पूर्ण करने के पश्चात विवाह स्थल (उपयोग व उपभोग) पंजीयन जारी किया जा सकेगा। यदि आपत्ति प्राप्त होती है तो आपत्तिकर्ता की सुनवाई की जाकर प्रकरण का निस्तारण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा। पूर्व मे स्थापित लाइसेंसी विवाह स्थलों के संबंध में यह प्रकिया लागू नही होगी।

6. <u>भुमि/भवन स्वामित्व की जांच</u> – यदि आवेदनकर्ता द्वारा आवेदनपत्र में वांछित दस्तावेज संलग्न नही किये गये हो या वांछित दस्तावेज जॉच में सही नही

(154)

पाये जावे तो उपविधि 4 (द) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनपत्र को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया जा सकेगा ।

आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत करने की समय सीमा – स्थानीय निकाय द्वारा आवेदनपत्र प्राप्त होने से 30 दिवस की अवधि मे आवेदनकर्ता को स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में सूचित किया जाना अनिवार्य होगा। यदि आवेदन पत्र स्वीकृत होता है कि ऐसी स्थिति में निगम द्वारा प्रपत्र (ग) में अनुज्ञा जारी की जावेगी।

8 अपील – विवाह स्थल के लिये आवेदनकर्ता के आवेदन को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किसी कारण अगर अस्वीकार कर दिया जाता है तो अस्वीकार पत्र जारी करने के 30 दिवस में इसकी अपील मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 के अंतर्गत निर्वाचित अपील समिती के समक्ष की जा सकेगी ।

9. प्रतिबंधित क्षेत्र

a. ऐसे स्थान पर जहां पर अस्पताल, रात्रिकालीन शिक्षण संस्थाए या अन्य इस प्रकार की संस्था चालू हो तथा विवाह स्थल की अनुमति दिये जाने पर शिक्षण कार्य मे बाधा आती हो वहां पर विवाह स्थल की अनुमति नही दी जा सकेगी

b. विवाह स्थल का संचालन चिकित्सालय से 100 फीट की परिधी मे प्रतिबंधित होगा ।

c. निर्धारित समय रात्रि 10 बजे से सुबह 8 बजे तक ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग नही किया जा सकेगा। इस बाबद विवाह स्थल पर इस संबंध मे बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन द्वारा ध्वनि यंत्रों के संबध मे जारी निर्देशों/प्रतिबंधों को पूर्णता पालन करना अनिवार्य होगा।

10. अग्निशमन के अनापत्ति प्रमाणपत्र का शुल्क निम्नानुसार वसूल किया जावेगा–

a. 1500 व.मी. तक के विवाह स्थल के लिये — 2,000/– वार्षिक

b. 1500 से 5000 व. मी तक के विवाह स्थल के लिये — 4,000/– वार्षिक

c. 5000 व.मी. से अधिक के विवाह स्थल के लिये — 6,000/– वार्षिक

11 प्रत्येक विवाह स्थल पर विवाह या अन्य आयोजन के दिन विवाह स्थल अनुज्ञापत्रधारी को स्वयं के खर्चे पर विवाह स्थल के बाहर निम्नानुसार गार्डो की व्यवस्था करनी होगी –

a. 1500 व.मी. तक के विवाह स्थल के लिये — 2 गार्ड

b. 1500 से अधिक 5000 व. मी. तक के विवाह स्थल के लिये — 3 गार्ड

c. 5000 व.मी. से अधिक के विवाह स्थल के लिये — 4 गार्ड

ये गार्ड वाहनों को विवाह स्थल की निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खडा करवाऐंगे तथा विवाह स्थल के सामने यातायात को बाधित होने से रोकेंगे।

12. विवाह स्थल अनुज्ञापत्रधारियों सफाई स्वयं करने एवं उत्पन्न कचरे एव अपशिष्ट पदार्थो का संग्रहण एवं निस्तारण स्वयं अपने खर्चे से करेंगे ।

13. विवाह स्थल अनुज्ञापत्रधारी को कचरा और अपशिष्ट पदार्थो को निगम के कचरा डिपों के पास, विवाह स्थल के आसपास या बाहर सडक पर नही डालेंगे यदि इसका उल्लंघन करते है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूल किया जावेगा एवं इसके संग्रहण एवं निस्तारण स्वयं करेंगे ।

14 विवाह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) पंजीयन एवं अनुमति शुल्क–

(अ) इन उपविधियो के अंतर्गत विवाह स्थल के क्षेत्रफल अनुसार पंजीयन एवं अनुमति शुल्क निम्न प्रकार से देय होगा –

a. 1000 व.मी. तक के विवाह स्थल के लिये — 3500/– वार्षिक

b. 1000 से 1500 व. मी तक के विवाह स्थल के लिये — 7,000/– वार्षिक

c. 1500 से 2500 व.मी. तक के विवाह स्थल के लिये 9,000/- वार्षिक

d. 2500 से 5000 व.मी. तक के विवाह स्थल के लिये 12,000/- वार्षिक

e. 5000 व.मी. से अधिक के विवाह स्थल के लिये 15,000/- वार्षिक

(ब). उपरोक्त पंजीयन, उपयोग एवं उपभोग के अनुमति शुल्क के एवज में नगर निगम विवाह स्थल के आसपास स्थित नालियों, ड्रेन इत्यादि की नियमित सफाई रखेगा।

(स) उपरोक्त शुल्क वित्तीय वर्ष के अनुसार देय होंगे। यदि विवाह स्थल वित्तीय वर्ष के मध्य में स्थापित किया जाता है तो भी पूरे वर्ष का शुल्क देय होगा। उपरोक्त विवाह स्थल पंजीयन शुल्क एवं उपयोग एवं उपभोग अनुमति शुल्क नगरीय निकाय को देय किसी भी शुल्क/कर इत्यादि के अतिरिक्त होगा।

(द) नगर निगम उज्जैन को उपरोक्त सभी दरों में प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात शुल्क वृद्धि करने का अधिकार होगा।

15. <u>नवीनीकरण</u> – अनुमति प्राप्तकर्ता को प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात विवाह स्थल पंजियन का नवीनकरण करवाया जाना अनिवार्य होगा। जिसके लिये अनुमति प्राप्तकर्ता को पूर्ण पूर्तियों के साथ आवेदन करना होगा परंतु –

a. यदि आवेदन प्राप्तकर्ता 5 वर्ष तक प्रतिवर्ष नवीनीकरण हेतु निर्धारित समयावधि में शुल्क जमा करवा देता है तो उसे पर्याप्त माना जाकर नवीनीकरण की आवश्यकता नही होगी ।

b. विवाह स्थल उपयोग व उपभोग अनुमति शुल्क पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिये देय होगा यदि वित्तीय वर्ष के मध्य में समारोह स्थल स्थापित किया जाता है तो भी अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा पूरे वर्ष का शुल्क देना अनिवार्य होगा ।

c. 1 मार्च से 31 मार्च तक की अवधि मे स्थानीय निकाय द्वारा स्वीकृत विवाह स्थलों द्वारा वित्तीय वर्ष हेतु देय शुल्क अग्रिम जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा ।

d. अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा यदि उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि (1 मार्च से 31 मार्च तक) में शुल्क जमा नही करवाया जाता है तो प्रथम 3 माह तक देय कुल शुल्क की राशि पर 10% शास्ती एवं उसके पश्चात प्रतिमाह के विलंब पर 2% प्रतिमाह विलम्ब शुल्क के रूप में अतिरिक्त शास्ती के रूप मे देय होगा।

16. <u>विवाह स्थल उपयोग व उपभोग का अनुमति पत्र निम्न शर्तो के अध्यधीन होगा –</u>

a. अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा विवाह स्थल के चारों ओर सुरक्षा संबंधी आवश्यक प्रबंध किए जावेंगे ।

b. अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा विवाह स्थल के संबध मे आवश्यक हिदायतें व सूचनाऐं, पंजीकरण संख्या, रसीद संख्या, जमा राशि, निगम द्वारा जारी शर्तें परिसर के बाहर ऐसे स्थल पर जो सहज रूप से दृष्टिगोचर हो पर 6 बाय 4 फीट का बोर्ड लगाकर अंकित की जावेगी। इनका निर्धारण स्थानीय निकाय द्वारा किया जावेगा।

c. अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा राज्य सरकार/जिला प्रशासन/नगर निगम द्वारा समय समय पर जारी आदेशों/निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।

d. विवाह स्थल अनुमतिपत्रधारी को कचरा एवं अपशिष्ट पदार्थो को स्थल के आसपास या बाहर सडक पर नही डालेंगे यदि इसका उल्लंघन करते है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूल किया जावेगा एवं इसका संग्रहण व निस्तारण स्वयं करेंगे ।

e. अनुमतिपत्रधारी अपने विवाह स्थल पर अग्निशमन से संबंधित निर्धारित उपकरण लगवाया जाना सुनिश्चित करेगा। लाइसेंस जारी होने के पश्चात अग्निशमन के मापदण्ड पूर्ण नही पाये जाते हैं तो लाइसेंस निरस्त करने की अधिकार आयुक्त अथवा आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

f. स्थानीय निकाय विवाह स्थल से कचरा उठाने के लिये बाध्य नही होगा तथा अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा यह कार्य स्वयं करना होगा ।

g. अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा विवाह स्थल के कुल भूखंड क्षेत्र का 5% प्रतिशत क्षेत्र सुविधाजनक सुरक्षित पार्किंग स्थल स्वय के खर्चे पर उपलब्ध करवाना होगा एवं उस क्षेत्र को बेरिकेट्स आदि लगाकर पृथक से पार्किंग प्रदर्शित

155

करेगा। अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा विवाह स्थल से अनुमोदित ले-आउट प्लान में इंगित शर्तो का पालना सुनिश्चित करते हुए विवाह स्थल विकसित किया जाना अनिवार्य होगा।

h. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा ध्वनि/वायु प्रदूषण एव अन्य सबंधी नियम/अधनियमों का पालन अनुज्ञापत्रधारी द्वारा किया जावेगा।

17. **अभियोजन** – नगर निगम आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी विवाह स्थल का निरीक्षण कर सकेगा। यदि उपयोग एवं उपभोग में निर्देशित शर्तो, उपविधियों का उल्लंघन पाया जाता है तो प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा 3 दिवस में पूर्ति करने हेतु अनुमति प्राप्तकर्ता को सूचित किया जावेगा। यदि नियत अवधि में अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा निर्देशो का पालन नही किया जाता है तो अनुमति पत्र, पंजीयन तत्काल निरस्त किया जा सकेगा एवं दोषी व्यक्ति, संस्था एवं कंपनी के विरूद्ध अभियोजन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रारंभ की जा सकेगी ।

18. **समझौता** – न्यायलय में विचाराधीन अभियोग को वापस लेने अथवा समझौता करने का अधिकार मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 के अंतर्गत मा. निगम परिषद/आयुक्त/अन्य प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

19. **उपविधियों का उल्लंघन** – इन उपविधियों में से किसी भी उपविधि का उल्लंघन पाये जाने पर प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा 10000/– रूपये का अर्थदण्ड किया जाकर उपविधि संख्या 17 के अंतर्गत अनुमति प्राप्तकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

20. **अर्थदण्ड की राशि को स्थानीय कोष में जमा करवाना** – अर्थदण्ड की धनराशि अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 के अनुसार नगर निगम कोष में जमा करवाई जाकर प्राधिकृत अधिकारी को सूचित किया जाना आवश्यक होगा।

21. **अवैध विवाह स्थलों का अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही** –
यदि किसी संस्थान अथवा व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति के स्थानीय निकाय सीमा में विवाह स्थल शुरू किया जाता है तो उसे नगर निगम द्वारा अवैध मानकर हटाया जा सकेगा एवं अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी।

22. **जनरेटर रूम की व्यवस्था** – नगर निगम उज्जैन क्षेत्र मे स्थित विवाह स्थलो मे जनरेटर सेट इस प्रकार लगाने होंगे जिससे आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो एवं उससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना हो ।

23. **सार्वजनिक स्थानों के सामाजिक समारोह हेतु उपयोग पर रोक**–
स्थानीय निकाय क्षेत्र में स्थित विकास समिति एवं गृह निर्माण एवं मोहल्ला विकास समिति द्वारा जो स्थान सार्वजनिक पार्क हेतु छोड़े गये है उनका उपयोग विवाह स्थलों हेतु नही किया जावेगा न ही उन्हें अनुमति पत्र जारी किया जावेगा । उनका उपयोग जिस उद्देश्य हेतु रखा गया है उसी उपयोग में लिया जा सकेगा।

24. **सामुदायिक केन्द्रों/सार्वजनिक धर्मशालाओं के विवाह स्थलो का उपयोग पर शुल्क राशि में छूट** – भारत सरकार/राज्य सरकार / अर्द्ध शासकीय विभागों/उपक्रमों द्वारा निर्मित किये गये विवाह स्थलों जिनका संचालन नागरिक समितियों द्वारा किया जा रहा है तथा सार्वजनिक धर्मशालाओं के पंजीकरण एवं अनुमति हेतु उपविधि के अंतर्गत निर्धारित राशि की 25% राशि शुल्क के रूप में ली जावेगी परंतु ऐसे विवाह स्थल जिनका संचालन भारत सरकार/राज्य सरकार/ अर्द्धशासकीय विभागों/उपक्रमों द्वारा स्वयं के स्तर पर किया जा रहा है को उपविधि से छूट होगी।

25. **पार्किंग और यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना** – अनुमति प्राप्तकर्ता को पार्किंग की व्यवस्था स्वयं के खर्चे पर सुनिश्चित करनी होगी। यातायात के संबंध में जिला प्रशासन एवं स्थानीय पुलिस द्वारा विवाह जुलुस को यातायात की सुव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नियंत्रित किया जा सकेगा। किसी क्षेत्र में सडक विशेष पर विवाह जुलुस की अनुमति देने हेतु प्रतिबंधित भी किया जा सकेगा ।

26. **विवाह स्थलों की भूमि का अन्य उपयोग पर प्रतिबंध** – अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा विवाह स्थल की अनुमति प्राप्त होने के बाद अनुमति पत्र की एक–एक प्रति संबंधित पुलिस थाना व कलेक्टर को देनी आवश्यक होगी। स्थानीय निकाय द्वारा समाज के सामाजिक दायित्वों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने को दृष्टिगत रखते हुए विवाह स्थल उपयोग व उपभोग हेतु जारी अनुमति पत्र किसी भी प्रकार की भू–उपयोग परिवर्तन की अनुमति या अंगीकार नही माना जावेगा।

27. **स्थानीय निकाय का सर्वाधिकार सुरक्षित** – स्थानीय निकाय को विवाह स्थल उपयोग एवं उपभोग अनुमति पत्र के भूमि/भवन के स्वामित्व का कोई अधिकार प्राप्त नही होगा। स्थानीय निकायों द्वारा विवाह स्थल हेतु जारी अनुमतिपत्र की स्वीकृति को

बिना कारण स्पष्ट किए निरस्त करने का अधिकार होगा। निरस्तीकरण पर स्थानीय निकाय द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि देय नही होगी।

28. <u>अनुमति प्राप्तकर्ता से शपथपत्र प्राप्त किया जाना</u> – प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विवाह स्थल की स्वीकृति जारी करने से पूर्व अनुमति प्राप्तकर्ता से निर्धारित राशि के नॉन ज्युडिशियल स्टॉम्प पत्र पर इस आशय का शपथ पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा कि उसके द्वारा इन उपविधिगें में वर्णित समस्त दिशा निर्देशों को अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावेगी अन्यथा उसका उपयोग एवं उपभोग स्वतः निरस्त समझा जा सकेगा।

29. <u>निरसन और व्यावृतियां</u> – इन उपविधियों के प्रवर्तन में आने के पश्चात पूर्व मे जारी आदेश/निर्देश/विज्ञप्तियां निरस्त समझी जावेगी लेकिन इन उपविधियों के प्रवर्तन मे आने से पूर्व निररित आदेश/निर्देश /विज्ञप्तियों के तहत किया गया कोई कार्य उपविधियाँ प्रभावशील होने के कारण अवैध नही समझा जावेगा।

आयुक्त
उज्जैन नगर निगम, उज्जैन
(मा. निगम परिषद द्वारा अनुमोदित एवं स्वीकृत)

(156)

कार्यालय नगर पालिक निगम उज्जैन

छत्रपति शिवाजी भवन, आगर रोड, उज्जैन

विवाह स्थल उपयोग एवं उपभोग हेतु पंजीयन प्राप्त करने का

आवेदन पत्र

प्रपत्र "क"

1	विवाह स्थल का नाम	
2	विवाह स्थल का पता	
3.	आवेदक का नाम	
4.	पता / दूरभाष नंबर (कार्या./निवास/मोबाईल)	
5.	भूखंड मालिक का नाम पता व दूरभाष नंबर (कार्या./निवास/मोबाईल)	
6.	विवाह स्थल का कुल क्षेत्रफल (निर्मित क्षेत्र व खुला क्षेत्र की जानकारी पृथक-पृथक दी जावे)	
7.	आवेदित स्थल की कुल व्यक्तियों के समाहित करने की क्षमता	
8.	अग्निशमन के अनापत्ति प्रमाणपत्र के जमा शुल्क की रसीद नंबर मय दिनांक एवं छायाप्रति	
9.	पंजीयन जमा शुल्क की रसीद मय दिनांक एवं छायाप्रति	
10.	अनुमति जमा शुल्क की रसीद नंबर मय दिनांक एवं छायाप्रति	
11.	अन्य विवरण मय नक्शा विवाह स्थल स्वामित्व तथा किरायेदारी संबंधी दस्तावेज	

कृपया उपरोक्त विवाह स्थल का वर्ष .... का अनुज्ञापत्र जारी करने का कष्ट करें।

दिनांक आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

पता / टेलीफोन नंबर

कार्यालय नगर पालिक निगम उज्जैन

प्रपत्र "ख"

विवाह स्थल उपयोग एवं उपभोग अस्थायी अनुज्ञापत्र वर्ष ....

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, शपथपत्र आदि के आधार पर वित्तीय वर्ष .... के लिये निम्न भूखंड का उपयोग नगर निगम उज्जैन (विवाह स्थल पंजीयन) उपविधियां 2013 के अंतर्गत विवाह स्थल के रूप में करने की अस्थायी अनुज्ञा प्रस्तुत दस्तावेज एव तथ्यों की विवाह स्थल पर भौतिक जांच में सही पाये जाने के अध्याधीन दी जाती है । जिनकी जांच 30 दिवस मे की जाकर सही पाये जाने पर पृथक से अनुज्ञा पत्र जारी किया जाएगा ।

1. आवेदक का नाम ....
2. पिता का नाम ....
3. मालिक का नाम व पता ....
4. दूरभाष नं. (कार्यालय / निवास / मो.) ....
5. विवाह स्थल का नाम एवं पता ....
6. जोन क्रमांक ....
7. वार्ड क्रमांक ....
8. विवाह स्थल के बारे मे विवरण ....
9. वित्तीय वर्ष ....
10. निर्देश ....

नोट :- इस अनुज्ञा पत्र का उपयोग भूखंड के स्वामित्व एवं भू-उपयोग निर्धारण के लिये मान्य नही है ।

हस्ताक्षर मय सील

कार्यालय नगर पालिक निगम उज्जैन

प्रपत्र ''ग''

बुक क्रमांकः   प्रत क्रमांकः

विवाह स्थल उपयोग एवं उपभोग अनुज्ञापत्र

पंजीयन क्रमांक..................

नगर पालिक निगम उज्जैन की स्वीकृत उपविधि ''नगर निगम उज्जैन (विवाह स्थल का पंजीयन) उपविधियाँ 2013'' के प्रावधान अतर्गत श्री / श्रीमती...पिता / पति... निवासी...को स्थान ....जो कि वार्ड क्रमांक...................झोन क्रमांक.........................में स्थापित है को उक्त स्वीकृत उपविधि की शर्तो व निर्देशों के अध्याधीन अनुज्ञा जारी दिनांक से दिनांक 31 मार्च ....तक के लिये विवाह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षर मय सील

(9) PROPOSED BY LAWS FOR ALL MUNICIPAL CORPORATION AND MUNICIPALITIES

मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 (अधिनियम सख्या 27 सन् 1961) की धारा 357, 358 (3) (k), (7) (c) (d) (h) (u), (9) (d) सहपठित धारा 366 एवं धारा 427 (6) (27) (36) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका एतद द्वारा उपविधिया बनाता है –

मध्यप्रदेश नगर पालिका (विवाह स्थल का पंजीयन) उपविधिया 2013

शीर्षक सीमा एवं प्रभाव –

क. ये उपविधिया नगर पालिका (विवाह स्थल का पंजीयन) उपविधियाँ 2013 कहलायेंगी

ख. ये उपविधिया नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक दिनांक .... की स्वीकृति दिनांक से प्रभावशील होगी ।

ग. ये उपविधिया नगर पालिका की समस्त सीमा में प्रभावशील होगी ।

शाब्दिक परिभाषाये – जब तक अर्थ से असंगतता अथवा भाव में

विपरीतता न हो उपविधियो के प्रयोजनार्थ निष्पादित शब्दों की परिभाषा निम्न प्रकार व्यवहार होगी -

1. "अधिनियम" से तात्पर्य मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 (अधिनियम संख्या 27 सन् 1961 से है)

2. "प्रेसिडेंट इन काउंसिल" से तात्पर्य नगर पालिका उज्जैन द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 70 के अंतर्गत गठित काउंसिल से है ।

3. "स्थानीय निकाय" से तात्पर्य नगर पालिका से है ।

4. "उपयोग व उपभोग अनुमति" से तात्पर्य विवाह स्थल पर उपविधियों के अंतर्गत उपविधि 11 में वर्णित उपयोगों हेतु दी जाने वाली अनुमति से हैं ।

5. "अनुमति प्राप्तकर्ता" से अभिप्रेत इन उपविधियों के अंतर्गत विवाह स्थल पंजीयन की अनुमति प्राप्त करने वाले व्यक्ति से है इसमे इनका अभिकर्ता, प्रतिनिधि एवं अन्य कर्तव्यरत सेवक सम्मिलित होगा ।

6. "अध्यक्ष" से तात्पर्य नगर पालिका के अध्यक्ष से है ।

7. " मुख्य नगर पालिका अधिकारी " से तात्पर्य स्थानीय निकाय के शीर्षस्थ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये प्राधिकृत अधिकारी से है जो प्राधिकृत अनुज्ञप्ति अधिकारी द्वारा उपविधियों के अंतर्गत विवाह स्थल की अनुमति एव संचालन की कियान्विति सुनिश्चित की जावेगी ।

8. "विवाह स्थल" से तात्पर्य नगर पालिका की सीमा मे स्थित ऐसे समस्त होटल/भूखण्डों / फार्मो / सामुदायिक केन्द्रों / भवनों/ क्लबों/ बैंक्वट हॉल / धर्मशालाओं इत्यादि से है जो सगाई शादी, जन्मदिवस एवं अन्य प्रकार के सामाजिक समारोहों/ उत्सव / प्रदर्शनी/ कन्वेशन / गरबा उत्सव/ नववर्ष आयोजन इत्यादि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाते है ।

9. "प्रपत्र" से तात्पर्य इन उपविधी के साथ संलग्न प्रपत्र से है जो शब्द यहां परिभाषित नही किये है उनके संबंध में मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 में दी गई परिभाषाए लागू होगी ।

10. यदि किसी शब्द की स्पष्ट परिभाषा अधिनियम में उपलब्ध ना हो तो अनुषांगिक नियमो से उक्त तात्पर्य समझा जा सकेगा ।

10.(अ) <u>निषेद्ध</u> – स्थानीय निकाय की सीमा में कोई भी व्यक्ति,संस्थान, कंपनी स्थानीय निकाय की अनुमति प्राप्त किये बिना ऐसे स्थान का विवाह स्थल अथवा अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग नही कर सकेगा । वर्तमान में स्थापित विवाह स्थलों के संबंध में प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च से पूर्व निर्धारित प्रकिया अपना कर नगर पालिका से अनुमति प्राप्त करनी होगी अन्यथा अवैध मानकर कार्यवाही की जावेगी ।

11. **अनुमति पत्र की प्रणाली** – कोई भी व्यक्ति संस्था कंपनी जो स्थानीय निकाय सीमा मे स्थित भूखंड/ भवन/ फार्म हाउस का उपयोग विवाह स्थल/ अन्य प्रयोजनार्थ करना चाहता है अथवा इन उपविधियों से प्रभावी होने से पहले ही स्थल का उपयोग उपरोक्त प्रयोजनार्थ कर रहा है तो उसे –

1. निर्धारित प्रपत्र क में आवेदन करना होगा ।

2. विवाह स्थल का ले – आउट प्लान संलग्न करना हेगा तथा उसके संबंध में निम्न विवरण देना अनिवार्य होगा ।

क. महिला व पुरूष के लिये भवन विनियमो में निर्धारित मापदण्डो के अनुसार पर्याप्त शौचालय व मूत्रालय ।

ख. भवन विनियमों मे निर्धारित अग्निशमन यंत्रो की व्यवस्था ।

ग. आवेदित स्थल की कुल व्यक्तियों की समाहित करने की क्षमता ।

घ. आने व जाने के दो रास्ते (सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य) अगर वर्तमान में आवेदित स्थल पर आने जाने का एक ही रास्ता उपलब्ध हो तो आवेदनकर्ता का आवेदन करने से पूर्व दूसरा रास्ते की व्यवस्था की जाकर ही आवेदन किया जा सकेगा ।

ढ. सडक की चौडाई न्यूनतम 15 फीट होना अनिवार्य है । सार्वजनिक सामुदायिक केन्द्रों में सडक की न्यूनतम चौडाई 10 से 20 फीट होगी ।

च. कचरा संग्रहण एवं गंदे पानी की निकास की व्यवस्था ।

छ. बिजली-पानी तथा इमरजेंसी लाईट की पर्याप्त व्यवस्था ।

ज. वाटर हारवेस्टिंग की व्यवस्था ।

झ हलवाई / कैटरिंग / अग्नि स्थान जहां भोजन तैयार करने की व्यवस्था की जानी है आवेदित स्थल पर विकसित वृक्षारोपण वायर्ड लैण्डस्केपिंग इत्यादि का विवरण प्रस्तावित आवेदित स्थल पर लिये गये विद्युत कनेक्शन भार का विवरण मय अतिरिक्त जनरेटर रूम व्यवस्था, आतिशबाजी के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले स्थान का इंगितिकरण इत्यादि ।

ट. पार्किंग व्यवस्था कुल क्षेत्रफल के कम से कम 15 प्रतिशत में होगी ।

ठ. आवेदनपत्र के साथ विवाह स्थल के आवेदित भूखंड का कोई संपत्ति कर बकाया नही होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा ।

3. संबंधित भूखंड के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज की प्रति ।

4. यदि उपयोगकर्ता किरायेदार है तो उसे स्थल के मालिक से लिखित मे हुए इकरारनामा एवं एम.ओ.यु / अन्य कानूनी दस्तावेज जिसके तहत निर्धारित स्थल का उपयोग किया जा रहा है कि नोटराईज्ड प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी एवं विवाह स्थल की अधिसूचना भूखंड / भवन मालिक की सहमति सहित के अंतर्गत निर्धारित शर्तो को उसके द्वारा अक्षरतः पालन किया जावेगा इस हेतु 10/— का नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

5. आवेदक को आवेदनपत्र के साथ निम्नांकित आशयो का रूपये 10/— का नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा कि --

अ. ध्वनि विस्तार यत्रों का प्रयोग के संबंध मे उपविधि संख्या 15 (स) की पालना की जावेगी।

ब विवाह स्थल पर यातायात को बाधित होने से रोकने के लिये निर्धारित संख्या के अनुसार गार्ड लगाये जाने के संबंध में उपविधि संख्या 17 की पालना की जावेगा ।

स. विवाह स्थल पर आयोजन से उत्पन्न कचरा एव अपशिष्ट पदार्थ स्वय अथवा जागीरदारी प्रथा अंतर्गत व्यक्ति के माध्यम से स्वयं संग्रहित व निस्तारित किए जावेंगे ।

समस्त वांछित औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात स्थानीय निकाय के अधिकृत प्राधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा आवेदित स्थल की जांच की जाकर अनुमति दिये जाने अथवा नही दिये जाने का निर्णय लिया जाकर आवेदनकर्ता को सूचित किया जा सकेगा । नगर पालिका के अध्यक्ष / मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा निर्णय लेकर लाईसेंस देने की ऑनलाईन प्रकिया लागू कर सकेंगे । ऐसी दशा मे आवेदक प्रार्थनापत्र के साथ सभी औपचारिक दस्तावेज एव फीस अदायगी की रसीद प्रस्तुत करेगा । फीस अदा होने के 30 दिवस मे अनुज्ञप्ति अधिकारी / राजस्व अधिकारी उक्त विवाह स्थल की जॉच उपविधियों के प्रावधानों के अनुरूप करेगा तथा विवाह स्थल की स्वीकृति / अस्वीकृति देगा । अस्वीकृत होने की दशा मे कारण बताओ नोटिस जारी कर आवेदक को सुनेगा और सुनकर यथोचित आदेश जारी करेगा ।

12. <u>प्रकिया</u> – अधिकृत प्राधिकारी द्वारा पहली बार नया विवाह स्थल पंजियन की अनुमति देने से पूर्व सार्वजनिक विज्ञप्ति राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र मे प्रकाशित करवायी जावेगी । 15 दिवस में आपत्ति प्राप्त न होने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित शर्तो को पूर्ण करने के पश्चात विवाह स्थल (उपयोग व उपभोग) पजीयन जारी किया जा सकेगा । यदि आपत्ति प्राप्त होती है तो आपत्तिकर्ता की सुनवाई की जाकर प्रकरण का निस्तारण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा । पूर्व मे स्थापित लाइसेंस विवाह स्थलो के संबंध में यह प्रकिया लागू नही होगी ।

13. <u>भूमि /भवन स्वामित्व की जांच</u> – यदि आवेदनकर्ता द्वारा आवेदनपत्र मे वांछित दस्तावेज संलग्न नही किये गये हो या वांछित दस्तावेज जॉच में सही नही पाये जावे तो उपविधि 11(4) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनपत्र को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया जा सकेगा ।

अ. अपील – विवाह स्थल के लिये आवेदनकर्ता के आवेदन को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किसी कारण अगर अस्वीकार कर दिया जाता है तो अस्वीकार पत्र जारी करने के 30 दिवस में इसकी अपील मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 70 के अंतर्गत स्थापित प्रेसीडेंट इन काउंसिल के समक्ष की जा सकेगी ।

14. <u>आवेदन स्वीकृत / अस्वीकृत करने की समय सीमा</u> – स्थानीय निकाय द्वारा आवेदनपत्र प्राप्त होने से 30 दिवस की अवधि मे आवेदनकर्ता को स्वीकृति /अस्वीकृति के संबंध में सूचित किया जाना अनिवार्य होगा ।

(158)

15. **प्रतिबंधित क्षेत्र –**

अ. ऐसे स्थान पर जहां पर अस्पताल, रात्रिकालीन शिक्षण संस्थाए या अन्य इस प्रकार की संस्था चालू हो तथा विवाह स्थल की अनुमति दिये जाने पर शिक्षण कार्य मे बाधा आती हो वहां पर विवाह स्थल की अनुमति नही दी जा सकेगीं

ब. विवाह स्थल का संचालन चिकित्सालय से 100 फीट की परिधी में प्रतिबंधित होगा ।

स. निर्धारित समय रात्रि 10 बजे से सुबह 8 बजे तक ध्वनि विस्तार पत्रों का उपयोग नही किया जा सकेगा । इस बाबद विवाह स्थल पर इस संबंध में बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा । जिला प्रशासन द्वारा ध्वनि यंत्रों के संबंध मे जारी निर्देशो / प्रतिबंधों की पूर्ण पालना करनी होगी ।

16. <u>अग्निशमन यदि स्थानीय निकाय द्वारा सुविधा प्रदत्त की जाना हो तो के अनापत्ति प्रमाणपत्र का शुल्क निम्नानुसार वसूल किया जावेगा–</u>

1. 1500 व.मी. तक के विवाह स्थल के लिये 500 वार्षिक
2. 1500 से अधिक 5000 व. मी तक के लिये विवाह स्थल के लिये 750 वार्षिक
3. 5000 व.मी. से अधिक के विवाह स्थल के लिये 1000 वार्षिक

17. प्रत्येक विवाह स्थल पर विवाह या अन्य आयोजन के दिन विवाह स्थल अनुज्ञापत्रधारी को स्वयं के खर्चे पर विवाह स्थल के बाहर निम्नानुसार गार्डो की व्यवस्था करनी होगी –

1. 1500 व.मी. तक के विवाह स्थल के लिये 1 गार्ड
2. 1500 से अधिक 5000 व. मी तक के लिये विवाह स्थल के लिये 2 गार्ड
3. 5000 व.मी. से अधिक के विवाह स्थल के लिये 3 गार्ड

ये गार्ड वाहनों के विवाह स्थल की निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खडा करवाऐंगे तथा विवाह स्थल के सामने यातायात को बाधित होने से रोकेंगे ।

18. विवाह स्थल अनुज्ञापत्रधारियों सफाई व्यवस्था स्वयं की जावेगी एवं स्थानीय निकाय का इस हेतु कोई उत्तरदायित्व नही होगा ।

19. विवाह स्थल अनुज्ञापत्रधारी को कचरा और अपशिष्ट पदार्थो को विवाह स्थल के आसपास या बार्डर सडक पर नही डालेंगे यदि इसका उल्लंघन करते है तो उनके खिलाफ निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूल किया जावेगा ।

20. विवाह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) पंजीयन एवं अनुगति शुल्क

इन उपविधियों के अंतर्गत विवाह स्थल के अनुसार पंजीयन शुल्क निम्न प्रकार से देय होगा –

अ. 1000 व.मी. तक के विवाह स्थल 500 /– रूपये वार्षिक

ब. 1000 व. मी. से अधिक 1500 व. मी तक के विवाह स्थल 750 /--रूपये वार्षिक।

स. 1500 व.मी. से अधिक 2500 व.मी. तक के विवाह स्थल 1,000 /– रूपये वार्षिक

द. 2500 व.मी से अधिक 5000 व.मी. तक के विवाह स्थल 1,250 /– रूपये वार्षिक

इ. 5000 व.मी. से अधिक के विवाह स्थल 1,500 /– रूपये वार्षिक

ब. उपरोक्त पंजीयन , उपयोग एवं उपभोग के अनुमति शुल्क के एवज में नगर पालिका विवाह स्थल के आसपास स्थित नालियों, ड्रेन इत्यादि की नियमित सफाई रखेगा ।

स. उपरोक्त शुल्क वित्तीय वर्ष के अनुसार देय होगे । यदि विवाह स्थल वित्तीय वर्ष के मध्य के स्थापित किया जाता है तो भी पूरे वर्ष का शुल्क देय होगा । उपरोक्त विवाह स्थल पंजियन शुंल्क एवं विवाह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) अनुमति शुल्क नगरीय निकाय को देय किसी भी शुल्क / कर इत्यादि के अतिरिक्त होगी ।

नगर पालिका को उपरोक्त सभी दरों में प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात शुल्क वृद्धि करने का अधिकार होगा।

21. **<u>नवीनीकरण</u>** – अनुमति प्राप्तकर्ता को प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात विवाह

14.12.2

स्थल पंजियन का नवीनकरण करवाया जाना अनिवार्य होगा । जिसके लिये अनुमति प्राप्तकर्ता को पूर्ण प्रतियों के साथ आवेदन करना होगा परंतु –

क. यदि आवेदन प्राप्तकर्ता 5 वर्ष तक प्रतिवर्ष नवीनीकरण हेतु अप्रेल से पूर्व केवल देय शुल्क जमा करवा देता है तो उसे पर्याप्त माना जाकर नवीनीकरण की आवश्यकता नही होगी।

ख विवाह स्थल उपयोग व उपभोग अनुमति शुल्क पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिये देय होगा यदि वित्तीय वर्ष के मध्य मे समारोह स्थल स्थापित किया जाता है तो भी अनुमति प्रापतकर्ता द्वारा पूरे वर्ष का शुल्क देना अनिवार्य होगा ।

ग. 1 फरवरी से 31 मार्च की अवधि मे स्थानिय निकाय द्वारा स्वीकृत विवाह स्थलों द्वारा अग्रिम वित्तीय वर्ष हेतु देय शुल्क जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा ।

घ. अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा यदि उपरोक्तानुसार शुल्क जमा नही करवायाजाता है तो प्रथम तीन माह तक देय कुल शुल्क की राशि पर 10 प्रतिशत शास्ति शुल्क के रूप में अतिरिक्त शुल्क शास्ति के रूप में देय होगा।

22. <u>विवाह स्थल उपयोग व उपभोग का अनुमति पत्र निम्न शर्तो के अध्यधीन होगा –</u>

क. अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा विवाह स्थल के चारो ओर सुरक्षा संबधी आवश्यक प्रबंध किए जावेंगे ।

ख अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा विवाह स्थल के संबध मे आवश्यक हिदायते वं सूचनाए पंजीकरण संख्या रसीद संख्या, जमा राशि, निगम द्वारा जारी शर्ते परिसर के बाहर 4 बाय 4 फीट का बोर्ड लगाकर अंकित की जावेगी । इनका निर्धारण स्थानीय निकाल द्वारा किया जावेगा ।

ग. अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा राज्य सरकार / जिला प्रशासन / नगर पालिका द्वारा समय समय पर जारी आदेशों / निर्देशों की पालना करनी होगी।

घ. विवाह स्थल अनुमतिपत्रधारी को कचरा एवं अपशिष्ट पदार्थो को स्वयं संग्रहित व निस्तारित किया जावेगा। विवाह स्थल अनुमतिपत्रधारी कचरा व अपशिष्ट पदार्थो को निकाय के कचरा डिपों के पास विवाह स्थल के आसपास या बाहर सडक पर नही डालेगे यदि इसका उल्लंघन करते है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूल किया जावेगा ।

ड अनुमतिपत्रधारी अपने विवाह स्थल पर अग्निशमन से सबंधित निर्धारित उपकरण लगवाया जाना सुनिश्चित करेगा । लाइसेंस जारी होने के पश्चात अग्निशमन के मापदण्ड पूर्ण नही पाता है तो लाइसेंस निरस्त करने की अभिशेषा लाईसेंस ऑथरिटी को देगा

च. स्थानीय निकाय द्वारा विवाह स्थल से कचरा उठाने का दायित्व नही होगा ।

छ. अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा विवाह स्थल के कुल भूखंड क्षेत्र का 15 प्रतिशत क्षेत्र सुविधाजनक सुरक्षित पार्किंग स्थल स्वयं के खर्चे पर उपलब्ध करवाना होगा एव उस क्षेत्र को बेरिकेट्स आदि लगाकर पृथक से पार्किंग प्रदर्शित करेगा । अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा विवाह स्थल से अनुमोदित ले – आउट प्लान में इंगित शर्तो का पालना सुनिश्चित करते हुए विवाह स्थल विकसित किया जाना अनिवार्य होगा ।

ज केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा ध्वनि / वायु प्रदुषण एव अन्य संबधी नियम / अधिनियमों की पालना अनुज्ञापत्रधारी द्वारा की जावेगी ।

23. <u>अभियोजन</u> – नगर पालिका द्वारा प्राधिकृत अधिकारी विवाह स्थल का निरीक्षण कर सकेगा । यदि उपयोग एवं उपभोग मे निर्देशित शर्तो उपविधियो का उल्लंघन पाया जाता है तो प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा 3 दिवस में पूर्ति करने हेतु अनुमति प्राप्तकर्ता को सूचित किया जावेगा। अन्यथा दोषी व्यक्ति, संस्था एवं कंपनी के विरूद्ध अभियोजन सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत करने की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रारंभ की जा सकेगी ।

24. <u>समझौता</u> – न्यायलय में विचाराधीन अभियोग को वापस लेने अथवा समझौता करने का अधिकार मध्यप्रदेश नगर पालिका नियम 1961 के अंतर्गत अध्यक्ष / मुख्य नगर पालिका अधिकारी / अन्य प्राधिकृत अधिकारी को होगा ।

25. <u>उपविधियों का उल्लंघन</u> – इन उपविधियों में से किसी भी उपविधि का उल्लंघन पाये जाने पर प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा 1000/– रूपये का अर्थदण्ड

159

किया जाकर उपविधि संख्या 23 के अंतर्गत कार्यवाही अनुमति प्राप्तकर्ता के विरूद्ध अमल में लाई जावेगी।

26. **अर्थदण्ड की राशि को स्थानीय कोष में जमा करवाना** -- अर्थदण्ड की धनराशि अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम के अनुसार नगर पालिका कोष में जमा करवाई जाकर प्राधिकृत अधिकारी को सूचित किया जाना आवश्यक होगा ।

27. **अवैध विवाह स्थलों का अतिकमण हटाने की कार्यवाही** – यदि किसी संस्थान अथवा व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति के स्थानीय निकाय सीमा में विवाह स्थल शुरू किया जाता है तो उसे स्थायी निकाय द्वारा अवैध मानकर हटाया जा सकेगा एवं अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी ।

28. **जनरेटर रूम की व्यवस्था** – नगर पालिका क्षेत्र में स्थित विवाह स्थलो में जनरेटर सेट इस प्रकार लगाने होंगे जिससे आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो एवं उससे किसी भी प्रकार का प्रदुषण ना हो ।

29. **सार्वजनिक स्थानो के सामाजिक समारोह हेतु उपयोग पर रोक** -- स्थानीय निकाय क्षेत्र में स्थित विकास समिति एवं गृह निर्माण एवं मोहल्ला विकास समिति द्वारा जो स्थान सार्वजनिक पार्क हेतु छोडे गये है उनका उपयोग विवाह स्थलों हेतु नही किया जावेगा न ही उन्हें अनुमति पत्र जारी किया जावेगा । उनका उपयोग जिस उद्देश्य हेतु रखा गया है उसी उपयोग में लिया जा सकेगा।

30. **सामुदायिक केन्द्रों / सार्वजनिक धर्मशालाओं के विवाह स्थलो का उपयोग उप शुल्क राशि में छूट** – भारत सरकार / राज्य सरकार की सरकारी / अर्द्धसरकारी विभागों / उपकमों द्वारा निर्मित किये गये विवाह स्थलों जिनका संचालन नागरिक समितियों द्वारा किया जा रहा है तथा सार्वजनिक धर्मशालाओ के पंजीकरण एव अनुमति हेतु उपविधि के अंतर्गत निर्धारित राशि की 25 प्रतिशत राशि शुल्क के रूप में ली जा सकेगी परंतु ऐसे विवाह स्थल जिनका संचालन भारत सरकार / राज्य सरकार के सरकारी / अर्द्धसरकारी विभागों / उपकमो द्वारा स्वयं के स्तर पर संचालन किया जा रहा है को उपविधि से छूट होगी।

31. **पार्किंग और यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना** – अनुमति प्राप्तकर्ता को पार्किंग की व्यवस्था स्वयं के खर्चे पर सुनिश्चित करनी होगी। यातायात के संबंध में जिला प्रशासन एवं स्थानीय पुलिस द्वारा विवाह जुलुस को यातायात की सुव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नियंत्रित किया जा सकेगा । किसी क्षेत्र में सडक विशेष पर विवाह जुलुस की अनुमति देने हेतु प्रतिबंधित भी किया जा सकेगा ।

32. **विवाह स्थलों की भूमि का अन्य उपयोग पर प्रतिबंध** – अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा विवाह स्थल की अनुमति प्राप्त होने के बाद अनुमति पत्र की एक एक प्रति संबंधित पुलिस थाना व जिलाधीश को देनी आवश्यक होगी । स्थानीय निकाय द्वारा समाज के सामाजिक दायित्वों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने को दृष्टिगत रखते हुए विवाह स्थल (उपयोग व उपभोग) हेतु जारी अनुमति पत्र किसी भी प्रकार की भू– उपयोग परिवर्तन की अनुमति या अंगीकार नही माना जावेगा।

33 **स्थानीय निकाय का सर्वाधिकार सुरक्षित** – स्थानीय निकाय को विवाह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) अनुमति पत्र के भूमि / भवन के स्वामित्व का कोई अधिकार प्राप्त नही होगा । स्थानीय निकायों द्वारा विवाह स्थल हेतु जारी अनुमतिपत्र की स्वीकृति के कारण स्पष्ट किए बिना निरस्त करने का अधिकार होगा। निरस्तीकरण पर स्थानीय निकाय द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि देय नही होगी ।

34. **अनुमति प्राप्तकर्ता से शपथपत्र प्राप्त किया जाना –** प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विवाह स्थल की स्वीकृति जारी करने से पूर्व अनुमति प्राप्तकर्ता से 10 रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टांप पत्र पर इस आशय का शपथ पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा कि उसके द्वारा इन उपविधियों में वर्णित समस्त दिशा निर्देशों को अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावेगी अन्यथा उसका उपयोग एवं उपभोग स्वतः निरस्त समझा जा सकेगा।

35. **निरसन और व्यावृतियां** – इन उपविधियों के प्रवर्तन में आने के पश्चात पूर्व में जारी आदेश / निर्देश / विज्ञप्तियां निरस्त समझी जावेगी लेकिन इन उपविधियों के प्रवर्तन में आने से पूर्व निरसित आदेश / निर्देश / विज्ञप्तियो के तहत किया गया कोई कार्य उपविधियां प्रभावशील होने के कारण अवैध नही समझा जावेगा ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका

अध्यक्ष
नगर पालिका

कार्यालय नगर पालिका
....
विवाह स्थल उपयोग हेतु लाईसेंस प्राप्त करने बाबद प्रार्थनापत्र
प्रपत्र "क"

1	विवाह स्थल का नाम	
2.	विवाह स्थल का पता	
3.	आवेदक का नाम	
4.	पता / दूरभाष नंबर (कार्या./निवास/मोबाईल)	
5.	भूखंड मालिक का नाम पता व दुरभाष नंबर (कार्या./निवास/मोबाईल)	
6.	विवाह स्थल का कुल क्षेत्रफल	
7.	आवेदित स्थल की कुल व्यक्तियो के समाहित करने की क्षमता	
8.	अग्निशमन के अनापत्ति प्रमाणपत्र के जमा शुल्क की रसीद नंबर मय दिनांक की फोटोप्रति	
9.	पंजीयन जमा शुल्क की रसीद मय दिनांक की फोटोप्रति	
10.	अनुमति जमा शुल्क की रसीद नंबर मय दिनांक की फोटोप्रति	
11.	अन्य विवरण मय नक्शा विवाह स्थल स्वामित्व तथा किरायेदारी संबंधी दस्तावेज	

कृपया उपरोक्त विवाह स्थल का वर्ष .... का अनुज्ञापत्र जारी करने का श्रम करावें

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम
पता / टेलीफोन नंबर

कार्यालय नगर पालिका
प्रपत्र "ख"
विवाह स्थल अस्थायी अनुज्ञापत्र वर्ष ....

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, शपथपत्र आदि के आधार पर वित्तीय वर्ष .... के लिये निम्न भूखंड का उपयोग नगर पालिका (विवाह स्थल पंजीयन) उपविधियां 2013 के अंतर्गत विवाह स्थल के रूप में करने की अस्थायी अनुज्ञा प्रस्तुत दस्तावेज एवं तथ्यों की विवाह स्थल पर भौतिक जांच में सही पाये जाने के अध्याधीन दी जाती है । जिनकी जांच 30 दिवस में की जाकर सही पाये जाने पर पृथक से स्थायी अनुज्ञा पत्र जारी किया जाएगा ।

1. आवेदक का नाम ....
2. पिता का नाम ....
3. मालिक का नाम व पता ....
4. दूरभाष नं. (कार्यालय / निवास / मो.) ....
5. विवाह स्थल का नाम एवं पता ....
6. जोन का नाम जिनके क्षेत्र में है ....
7. वार्ड नंबर ....
8. विवाह स्थल के बारे में विवरण ....
9. वित्तीय वर्ष ....
10. निर्देश ....

नोट – इस अनुज्ञा पत्र का उपयोग भूखंड के स्वामित्व एवं भू– उपयोग निर्धारण के लिये मान्य नही है ।

हस्ताक्षर लाइसेंसी ऑथोरिटी

(10) After perusing the proposed byelaws for Municipal

[illegible]

(160)

Corporation Ujjain for Municipalities in general, it is necessary to issue appropriate direction to the Municipal Corporation Ujjain and a direction to the state government to direct the Municipal Corporations and Municipalities to undertake the exercise of adopting and/or framing byelaws.

In the facts and circumstances it is desirable to dispose of the present petition in following terms-

(a) The proposed byelaws reproduced herein above, namely,Municipal corporation Ujjain (vivah Sthal ka panjiyan) bylaws 2013, reproduced herein above should be framed by the municipal corporation Ujjain u/s 427 within a period of 6 months in accordance with the Act and the state government , respondent no. 1 is also directed to accord its approval to byelaws with or without appropriate modification; AND likewise State Govt. shall ensure framing of similar bye-laws by all Municipal Corporations in M.P.

(b) Until the municipal corporations and State of M.P. undertake and complete the exercise of framing byelaws, the proposed byelaws reproduced above shall be implemented by all municipal corporation in letter and spirit w.e.f. 1/12/2003.

(c) The proposed M.P. Municipality (Vivah Sthan ka Panjiyan) byelaws 2013 shall be framed by all municipalities/municipal council u/ss 357,358(3)(k),(7)(c) (d) (h) (u),9(d) and state government shall grant necessary approval with or without modification within 6 months;

(d) Until the exercise of framing byelaws for municipalities is completed the proposed byelaws shall apply for the transitional period in all municipalities in state of M.P. and the state government shall issue necessary orders within two weeks.

(e) The aforesaid directions for implementation during transitional period of the proposed byelaws (**<u>Annexure P/10</u>** and **<u>P/11)</u>** reproduced above be carried out by all municipal corporations and respondent no. 1 respectively within two weeks from the date of receipt of certified copy of the order.

(f) The order Annexure P/3 and minutes Annexure P/5 are quashed with a short direction that no action shall be taken against the petitioners contrary to proposed Bye-Laws until Bye-

Laws are framed and approved by the Corporation and State Govt.

No order as to costs.

-sd-
(N.K.MODY)
JUDGE

MK